(3)

न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या–02/2022

राज्य

बनाम्

गिरेन्द्र यादव

–: आदेश :–

25/01/23	वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 2586/अप0शा0 दिनांक 29.12.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–145/2021 दिनांक–22.07.2021 से संबंधित है। कांड में जप्त ट्रक रजि0 संख्या–JH19A-6346 को राजसात करने के लिए प्रस्ताव समर्पित किया गया। राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि यह काण्ड वादी बलराम साव, ए0एस0एस0आई0, मगध परियोजना के लिखित आवेदन के आधार पर बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–145/2021 दिनांक 22.07.2021 दायर किया गया। बलराम साव ए0एस0एस0आई0 मगध परियोजना ने दिनांक 20.07.2021 समय करिब 04:30 बजे गश्ती करते हुए चमातु स्थित कोल स्टॉक 32 के पास पहुंचा तो देखा कि एक ट्रक रजि0 नं0–JH19A-6346 रूका, जब ट्रक चालक से लोडिंग स्लीप मांग किया गया तो चालक भाग गया। खलासी के द्वारा बताया गया कि ट्रक रजि0 नं0–JH19A-6346 पर अवैध कोयला 52 नं0 लोडर ही लोड किया है। मंशा कोयला चोरी का था। विपक्षी को पक्ष रखने के लिए बार–बार नोटिस निर्गत कर तामिला कराया गया तथा निर्गत नोटिस को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। जप्त ट्रक रजि0 संख्या–JH19A-6346 के वाहन स्वामी गिरेन्द्र यादव पिता–अशर्फी यादव, वर्तमान पता– सेरेनदाग, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार एवं स्थायी पता सा0–कसमार, थाना–पांकी, जिला–पलामू ने दिनांक 31.01.2023 को	

प्रतिलिपि

न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखा। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि जप्त ट्रक रजि0 नं0–JH19A-6346 कोयला के अवैध परिवहन में संलिप्त नहीं है। परन्तु कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court."

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट होता है कि काण्ड में जप्त ट्रक रजि0 नं0–JH19A-6346 के द्वारा कोयला का अवैध परिवहन किया गया है। अतः जप्त ट्रक रजि0 नं0–JH19A-6346 को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहन का निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, पुलिस अधीक्षक एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.04.21 16:43:41 +05:30
Location: 10.93.47.5